

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर			
कानूनशास्त्र का अर्थ बनाम अनोप देवी व अंग			
मुकदमा संख्या/वर्ष 17/2023 प्राखण्ड भाग 122, 111 18/11/20			
क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/12/25	<p>उपरोक्त फर्द अहकाम में प्रतिकरणीय/अपराधी की ओर प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का लावा प्रेशा नहीं किया तथा अपराधी सं. 4 च-शराम फौज का काम मुकाम अर्थना प्रेशा प्रेशा नहीं किया गया। प्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम का लावा व अपराधी सं. 4 के काम मुकाम अर्थना प्रेशा को देते अतिकरणीय/अपराधी सं. 4 के काम मुकाम अर्थना प्रेशा प्रेशा नहीं किया अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 09/05/2023 के तहत डाटा प्रेशा/Non-Compliance में लावा प्रेशा जाता है अतः न्यायालय से काम होकर वाद तकतीक रालिफ इफ्तार हो। सुनाया गया।</p>	

Pl Reader  
examine  
report.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या .....17...../2023

1. कानाराम पुत्र जोधा
2. नारायण पुत्र जोधा
3. भगवान सहाय पुत्र धन्ना
4. भेरुराम पुत्र जोधा
5. मंगलराम पुत्र ग्यारसीलाल
6. रामजीवन पुत्र धन्ना
7. रामलाल पुत्र ग्यारसीलाल
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्ना

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अवानियां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनोप देवी पत्नी बाबूलाल
2. कजोडी देवी पुत्री गंगाराम
3. चेतन पुत्र बाबूलाल
4. चन्दाराम पुत्र भूरा
5. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण
6. पिंकी पुत्री बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता अनोप देवी
7. मनोज पुत्र बाबूलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता अनोप देवी
8. रेखा पुत्री बाबूलाल
9. रामलाल उर्फ रामू पुत्र झूथा

बनाम